



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122021-232114
CG-DL-E-24122021-232114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5009]
No. 5009]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5400(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा बाइसिकिल-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ- (1) यह आदेश बाइसिकिल-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
2. बाइसिकिल-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 2 में "01 जनवरी 2022" के अंक, अक्षर और शब्द "01 जनवरी 2023" के अंक, अक्षर और शब्द से प्रतिस्थापित होंगे।

[फा. सं. 29014/3/2018-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 2028(अ), दिनांक 25 मई, 2021 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2021

S.O. 5400(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2021, namely:-

1. Short title, commencement. – (1) This order may be called the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 2, for the figures, letters and word “1st Jan, 2022”, the figures, letters and word “1st January, 2023” shall be substituted.

[F. No. 29014/3/2018-LEI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2028(E), dated the 25th May, 2021.